रजिस्टर्ड नं० ल0-33/एस0 एम014/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 8 जून, 1991/18 ज्येष्ठ, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 31*st May*, 1991

No. Home (A)B(1)12/86.—Whereas, the Government of Himachal Pradesh had decided to set up a Forensic Science Laboratory and re-employed Dr. B. R. Sharma, retired Director, Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh, as Director Forensic Science Laboratory for a period of one year;

AND whereas, after the expiry of the period of one year, Dr. Sharma had been re-employed for one more year and was granted further extension upto 30th April, 1991.

NOW, after the expiry of the term, the Government of Himachal Pradesh has decided to order that Dr. J. R. Gaur, Assistant Director, Forensic Science Laboratory would attend and dispose of the work of routine nature *w. e. f.* 1st June, 1991 till further orders.

The Government of Himachal Pradesh has further decided to order that all important matters concerning Forensic Science Laboratory would be disposed off by the Director General of Police, Himachal Pradesh, till such times the new arrangements are effected.

By order,
S. S. SIDHU,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 4 जून, 1991

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए०(5) 82/81.—क्योंकि ग्राम पंचायत, धंगोटा, विकास खण्ड विझडी, जिला हमीरपुर ने अपने प्रस्ताव संख्या 8, दिनांक 22-1-90 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री देश राज, पंच वार्ड नं० 6, ग्राम पंचायत, धंगोटा, विकास खण्ड विझडी पिछले लगभग 8 मास से पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, विझडी तथा जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर ने की है ;

और क्योंकि श्री देश राज, पंच, ग्राम पंचायत, धंगोटा उपरोक्त को इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च, 1990 द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु निष्काशनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसे उन्होंने लेने से इन्कार किया है;

और क्योंकि श्री देश राज, पंच उपरोक्त पिछले दो वर्षों से ग्राम पंचायत, धंगोटा की बैठकों में भाग नहीं ले रहे है एवं उनका यह कृत्य पंचायत के सुचारु संचालन में बाधक है और क्योंकि उनकी भविष्य में भी पंचायत की बैठकों में भी भाग लेने की कोई सम्भावना नहीं है ।

अत : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री देश राज, पंच, ग्राम पंचायत, धंगोटा, विकास खण्ड, विझडी, जिला हमीरपुर को उनके पद से निष्काशित करने का सहर्ष आदेश देते है ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम014/91.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 जून, 1991/22 ज्येष्ठ, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 4 मई, 1991

क्रमांक संख्या (विकास)/91.—यह कि श्री पूर्ण चन्द, प्रधान ग्राम पंचायत कटिन्डी, विकास खण्ड सदर को प्राथमिक पाठशाला भवन शाढला के निर्माण हेतु मु0 50,280/- रुपये की धनराशि के दुरुपयोग करने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या एम0एन0 डी0 विशा0 एम0 सी0 III/90-45 7-62, दिनांक 5-1-91 के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया था ।

और यह कि श्री पूर्ण चन्द, प्रधान से प्राप्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार किया गया जो असन्तोषजनक पाया गया क्योंकि प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी ने प्राथमिक पाठशाला भवन शाढला का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है । इस भवन का जो निर्माण कार्य प्रधान ने किया है उसका सहायक अभियन्ता (विकास), मण्डी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य का स्तर बहुत ही असन्तोषजनक है। दिवारें एक तरफ को झुक गई हैं, फर्श लेबल तथा जमीन लेबल में कोई अन्तर नहीं है दोनों कमरों तथा बीम में दरारें हैं । बीम तथा सलैब में दरारों का मुख्य कारण कम सरिया तथा कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाली घटिया सामग्री है ।

उक्त कार्य के इलावा प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी को पहले वाले नोटिस के क्रम में एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें कि उक्त प्रधान को दो और विकास कार्यों जैसे जल आपूर्ति योजना के निर्माण हेतु

वर्ष 1984-85 में खण्ड विकास अधिकारी, सदर द्वारा मु0 8,750/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी व स्कूल की सुरक्षा दीवार बारे मु0 2,000/- रुपये दिए गये थे लेकिन उक्त प्रधान ने इस नोटिस में निर्दिष्ट दोनों योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग अथवा वापसी बारे अपनी वस्तुस्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की है जबकि एक माह का समय समाप्त हो गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री पूर्ण चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग कर लिया है तथा उन्होंने जनहित के विकास कार्यों में बाधा डाली जो कि प्रधान पद के लिए अवांछनीय है।

और यह कि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी का प्रधान जैसे पद पर बने रहना उचित नहीं।

अत: मैं, अजय मितल, भा0प्र0से0, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत निहित है श्री पूर्ण चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत कटिन्डी को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं और उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह पंचायत की चल एवं अचल सम्पति पंचायत उप-प्रधान को सौंप दें तथा निलम्बित अवधि में वे ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक या कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

अजय मितल,
उपायुक्त, मण्डी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।